यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय कमाण्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (होमगार्डस) देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कमाण्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (होमगार्ड) देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री के.एस.चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद्र पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पँवार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.10.2020 से 29.10.2020 तक श्री पी. के. गुप्ता वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-1

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः देहरादून

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**अवशेष**			
							स्थापना		**गैर स्थापना**	
	स्था.	**गैर स्था.**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधि.**	**बचत**	**आधि.**	**बचत/समर्पित**
2017-18	-	-	41.11	38.27	-	-	-	2.84	-	-
2018-19	-	-	206.77	206.16	-	-	-	0.61	-	-
2019-20	-	-	48.84	48.34	-	-	-	0.50	-	-

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थितिः लागू नहीं

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

कमाण्डेन्ट
सहायक कमाण्डेन्ट
कम्पनी अधिकारी
कम्पनी कमाण्डर
प्रशासनिक निरीक्षक
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ठ सहायक

(ii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कमाण्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षक संस्थान (होमगार्ड) देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कमाण्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (होमार्गाड) देहरादून का आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कमाण्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (होमगार्ड), देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। मार्च 2019, एवं फरवरी 2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षा के (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

शून्य

भाग 2(ब)

प्रस्तर 01- पूर्ण धनराशि निर्गत करने के उपरान्त भी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

जनपद देहरादून के थानो में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाना था, जिसकी कुल लागत प्रतिशत प्रभार (Centage charges) एवं अन्य समस्त प्रभार सहित ₹ 223.36 लाख थी। उक्त कार्य के तहत भवन में 100 शैय्यायुक्त बैरक (डबल डैकर), भोजनालय, पहुँच मार्ग एवं तारबाड का निर्माण कार्य किया जाना था। कार्य के सम्पादन हेतु ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (ब्रिड्कुल) को कार्यदायी संस्था के रुप में नामित/चयनित किया गया था, एवं दिनांक 24.08.2018 को कार्यदायी संस्था के साथ अनुबंध किया गया। अनुबंध की शर्त संख्या 02 के अनुसार उक्त कार्य 12 माह में अर्थात दिनांक 31.08.2019 तक पूर्ण किया जाना था।

उपर्युक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य का निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण है जबकि कार्यदायी संस्था को (कुल लागत रु. 223.36) पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है। उक्त अपूर्ण कार्य के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि मुख्यालय से धनराशि प्राप्त होने पर कार्यदायी संस्था को निर्गत की गयी। वर्तमान मे सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है। धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने पर एवं कोरोना महामारी के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोरोना महामारी मार्च 2020 में प्रारम्भ हुई जबकि उक्त कार्य अनुबंध की शर्त के अनुसार अगस्त 2019 तक कार्य पूर्ण किया जाना था। विभाग द्वारा सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है, तथा कार्यादायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण करने में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग -दो"अ"प्रस्तर संख्या	भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।	शून्य		

<u>भाग-IV</u>

शून्य

<u>भाग - V</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण से संबन्धित अभिलेख जैस माप- पुस्तिका, बिल/वाचर, अर्जित ब्याज का विवरण।

सतत् अनियमितताएँ नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	एकता उनियाल	सेनानायक	07.04.2017 से 17.08.2020
2	श्री राजीव बलोनी	सेनानायक	18.08.2020 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हे नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी मे सम्मिलित कर एक प्रति सेनानायक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (होमगार्डस) देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप-महालेखाकार/एएमजी-III कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III